तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3659/2024/जयपुर महेन्द्र कुमार चौधरी बनाम शशि चौधरी वगैरह निगरानी/टीए/3661/2024/जयपुर महेन्द्र कुमार चौधरी बनाम शशि चौधरी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-6-2024	**एकलपीठ** **श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य** **उपस्थित :** श्री मोहम्मद इकबाल, अभिभाषक प्रार्थी श्री शशि चौधरी, केवियटकर्ता **आदेश** ये दोनो निगरानियां प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–5–2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। चूंकि दोनों ही प्रकरणों में वाद की प्रकृति, पक्षकारान तथा विवाद का बिन्दु एक समान होने से दोनो प्रकरणों में एक साथ बहस सुनी जाकर हमारे द्वारा दोनों हस्तगत निगरानियों का निस्तारण इस एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक एक प्रति दोनों पत्रावलियों पर रखी जावें। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि गैर–निगरानीकार संख्या 1 ने निगरानीकार व तरतीबी निगरानीकार के विरूद्ध एक वाद बाबत तकासमा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सारंगकाबास तहसील कालवाड जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता संख्या नया 98 पुराना 86 के खसरा नम्बर 310/1 रकबा 0.3035 हैक्टेयर में वादीया का हिस्सा 1/18 व खाता संख्या 99 पुराना 87 के खसरा नम्बर 128 रकबा 0.3288 हैक्टेयर में वादीया का हिस्सा 1/54 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज व अंकित हैं तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का अनुसार राजस्व जमाबन्दी दर्ज व अंकित है। वादअधीन भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है। जिसके संबंध में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। तत्पश्चात प्रतिवादीगण के नोटिस जारी होने पर प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 (5) में अंकित किया है कि यदि भिन्न–भिन्न खातों में पक्षकार समान नहीं है तो उसके लिये अलग–अलग वाद प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसी स्थिति में वादी का वाद विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार बार्ड बाई लॉ है। जिस पर वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को नकारते हुए कथन किया कि वादी दोनों वादो में पक्षकार है इसलिए उसके द्वारा संयुक्त वाद प्रस्तुत किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 20–5–2024 के द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3659/2024/जयपुर महेन्द्र कुमार चौधरी बनाम शशि चौधरी वगैरह निगरानी/टीए/3661/2024/जयपुर महेन्द्र कुमार चौधरी बनाम शशि चौधरी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया गया है वो वाद विभाजन का है जो खता संख्या 98 एवं खाता संख्या 99 के संबंध में प्रस्तुत किया हैं। उक्त दोनों वादो में पक्षकार भिन्न भिन्न है ऐसे में दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 (5) के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य था। विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि एक खाते के सहकाश्तकार दूसरे खाते में भी सहकाश्तकार है भिन्न भिन्न नहीं है। जबकि राजस्व जमाबन्दीयों से स्पष्ट था कि दोनों खातो में समान पक्षकार नहीं है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निगरानीधीन आदेश पारित किया है वह विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम जयपुर का निर्णय दिनांक 20-5-2024 को निरस्त फरमाया जाकर वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत खारिज फरमाया जावे।

उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये श्री शशि चौधरी, केवियटकर्ता ने निगरानी का जवाब लिखित में प्रस्तुत करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि खाता संख्या नया 98 पुराना 86 व खाता संख्या नया 99 पुराना 87 में निगराकार व गैर निगरानीकार संख्या नया 1 लगायत 21 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं समान पक्षकार है तथा जिस भूमि का विभाजन चाहा गया है उसके हिस्से में निगरानीकार व गैर निगरानीकार का हिस्सा दर्ज है एवं बँटवारे का ही दावा है इसलिए बाड बाई लॉ नहीं है। प्रस्तुत वाद में जवाब दावा प्रस्तुत होने के उपरान्त एवं तनकी बनने व साक्ष्य प्रस्तुत होने के उपरान्त ही निगरानीकार की आपत्तियों पर निस्तारण होगा। प्रथम दृष्ट्या दावा बार्ड बाई लॉ नहीं है। दोनो खातो में निगरानीकार व गैर निगरानीकार रिकॉर्डेड खातेदार व काश्तकार है। Non-Joinder व Misjoinder of parties होने के उपरान्त ही दावा बार्ड बाई लॉ नहीं माना गया है और न ही दावा खारिज किया जा सकता है। यह प्रश्न Mixed question of law and fact है इस आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी में उठाई गई आपत्तिया जवाब दावे में उठाई जावेगी तभी इन पर विचार किया जा सकता है। दावे को पढने से दावा बार्ड बाई लॉ नहीं नजर आता है इसलिए निगरानी के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधिवत आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। केवियटकर्ता ने अपने कथन के समर्थन में 2011-12 (supp.) आर.आर.टी पेज 71, 2011 (1) आर.आर.टी पेज 78, 2011-12 (supp.) आर.आर.टी पेज 255, 2023 (1) आर.आर.टी पेज 352 व 2011-12 (supp.) आर.आर.टी पेज 678 की नजीरें पेश की।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के साथ सलंग्न दस्तावेज व आलोच्य आदेश का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी निरस्त करने का मुख्य आधार यह लिया गया है कि वादी के दावे में भी एक खाते के सहखातेदार, दूसरे खाते में भी common सहखातेदार हैं, समस्त सहखातेदार भिन्न-भिन्न नहीं है। कानूनन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वादी के वाद पत्र को ही देखा जाता है। प्रतिवादी द्वारा जो बिन्दु उठाये गये है, वह तथ्य व विधि के मिश्रित प्रश्न है जो

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3659/2024/जयपुर महेन्द्र कुमार चौधरी बनाम शशि चौधरी वगैरह निगरानी/टीए/3661/2024/जयपुर महेन्द्र कुमार चौधरी बनाम शशि चौधरी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

साक्ष्य के बाद ही तय किये जा सकते है। वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश किया गया है और इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी को वाद कारण पैदा न हुआ हो और उसका वाद किसी विधि से बाधित होकर चलने योग्य न हो।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में जो आधार निगरानीकर्ता की ओर से लिये गये है वह विधि एवं साक्ष्य का मिश्रित प्रश्न से सबंधित है। प्रार्थी द्वारा जो निगरानी में बिन्दु उठाये है वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब दावे में वर्णित कर सकते है। यदि निगराकार अपने जवाब में यह प्रश्न उठाता है तो पीठासीन अधिकारी तनकी बना ले। बाद साक्ष्य अंतिम निर्णय में उसका विवेचन कर सकता है। साथ ही वाद विभाजन का है जिसमें प्रत्येक खातेदार का हिस्सा जमाबन्दी में वर्णित है। अतः उक्त हिस्सानुसार खाता पृथक से सृजित होगा। इस कारण भी आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रूप से निर्णित किया है। वाद पत्र का जवाब लेकर तनकीयात कायम कर मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही तथ्य एवं विधि के मिश्रित प्रश्न को निर्णित किया जाना न्यायोचित होता है। हस्तगत् प्रकरण में वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है ऐसा वाद के अभिवचनों से प्रकट नहीं होता है और न ही आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्य प्रावधानों के तहत वाद निरस्त किये जाने योग्य है। आलोच्य आदेश के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने में इस एकल पीठ के विनम्र मत में किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत दावा एवं प्रतिवादी पख की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर ही प्रकरण का विधिवत निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अतः हस्तगत् निगरानी विचाराणार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर ही अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

परिणामतः हस्तगत दोनों निगरानियां एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य